सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर ब्याव[illegible]

श्री रामा व अन्य बनाम नगर परिषद ब्यावर

मु0न0

किस्म मुकदमा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| [illegible]-8-19 | वकील डिक्रीदार उप. जो आज समय चाहते हैं, उन्हें चाहिए के अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 27-08-19 को पेश हो। (जसमीतसिंह संधू) उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर ब्यावर |
| | वकील डिक्रीदार उपस्थित। वकील डिक्रीदार ने प्रार्थना पत्र वास्ते भिजवाये जाने आदेश कि पत्थरगढ़ी के अनुरूप ही सड़ का निर्माण करने बाबत् प्रस्तुत किया जिस पर अधिवक्ता डिक्रीदार को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि इस न्यायालय द्वारा राजस्व वाद संख्या 06/2016 अन्तर्गत धारा 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निर्णय दिनांक 06.06.2017 से ग्राम फतेहपुरिया दोयम के खसरा संख्या 255 व 239 का नाप चौप करवाने हेतु आदेशित किया गया था जो तहसीलदार ब्यावर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 3580 दिनांक 23.07.2019 से पालना पूर्ण किया जाना उल्लेखित किया है जिससे डिक्रीदार भी सहमत है। इस प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पत्थरगढ़ी अनुसार ही सड़क निर्माण किये जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो भविष्य में सड़क निर्माण की संभावना को लेकर प्रस्तुत किया गया है जो इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। जो निर्णय इस न्यायालय द्वारा पारित किया जा चुका है उसकी पूर्ण पालना की जा चुकी है एवं अब इस इजराय पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण इजराय पर कार्यवाही इसी स्तर पर ड्राप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (जसमीतसिंह संधू) उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर ब्यावर |

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Jasmeet Singh Sandhu
Date: 2019.12.09 16:26:57 IST
Reason: SelfAttested